आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 09.02.2026 समय : 0705

<><><><><><><>

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह दस बजे परीक्षा पे चर्चा के दूसरे भाग में देश के विद्यार्थियों से परस्पर संवाद करेंगे।
- सरकार ने आयकर नियमों और प्रपत्रों, 2026 के मसौदे पर जनता और हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं।
- द्वीपसमूह के विभिन्न क्षेत्रों में कल उपचुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न– डिगलीपुर तहसील में मतदान का प्रतिशत सबसे अधिक रहा।
- प्रशासन ने बाराटांग में जलापूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए 1.38 करोड़ रुपये परियोजना की स्वीकृति को मंजूरी दी।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह परीक्षा पे चर्चा के दूसरे भाग में देश के विद्यार्थियों से परस्पर संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह दस बजे विभिन्न मंचों से प्रसारित किया जाएगा। कुछ ही दिनों में होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए विद्यार्थियों से संवाद का मुख्य केन्द्र परीक्षा का दबाव, तैयारियों की रणनीति, समय प्रबंधन और आत्म विश्वास के प्रति सकारात्मक सोच में मदद करना होगा। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस भाग में तमिलनाडु में कोयम्बटूर, छत्तीसगढ में रायपुर, गुजरात में देव मोगरा और असम में गुवाहाटी से परीक्षा योद्धाओं से संवाद होगा। परीक्षा पे चर्चा के नौंवे संस्करण के दूसरे भाग का प्रसारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यू–टयूब चैनल, दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा के इस सत्र में प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षाओं के तरीके, आत्मविश्वास पैदा करने, सकारात्मक बने रहने और मानसिक तनाव और दबाव जैसी आम चुनौतियों से निपटने के बारे में उपयोगी सलाह को साझा करेंगे। कार्यक्रम का पहला भाग छह फरवरी को प्रसारित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने प्रश्नों के उत्तर दिए थे और प्रतिभागियों के साथ परस्पर संवाद किया था। अत्याधिक प्रचलित ये वार्षिक कार्यक्रम देशभर में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसमें मॉय गाव पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराए गए करीब साढ़े चार करोड़ विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों ने भाग लिया। परीक्षा पे चर्चा की पहल प्रधानमंत्री की अवधारणा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप

है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के परीक्षा अनुभव को आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और संपूर्ण सुख में परिवर्तित करना तथा परीक्षा को एक उत्सव के रूप में मनाना है।

<><><><><><><><>

सरकार ने आयकर नियमों और प्रपत्रों, 2026 के मसौदे पर जनता और हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं। ये टिप्पणियां इस महीने की 22 तारीख तक आयकर कार्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर भेजी जा सकती हैं। आयकर कार्यालय ने सूचित किया है कि मसौदा नियम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। इस का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और सहभागी तथा प्रभावी नियम निर्माण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

<><><><><><><><>

अंडमान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कल द्वीप प्रशासन के सहयोग से 'अंडमान मैराथन–2026' के 10वें संस्करण का आयोजन किया। इस दौड़ को उपराज्यपाल एडमिरल डी. के. जोशी ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल से झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें द्वीपवासियों के साथ मुख्यभूमि से आए प्रतिभागियों ने विभिन्न श्रेणियों में हिस्सा लिया। इस आयोजन में कुल 10,05,000 रुपये की पुरस्कार राशि के साथ–साथ विशेष नकद पुरस्कार भी प्रदान किए गए। उपराज्यपाल ने इस आयोजन के लिए ANCCI और प्रायोजकों की सराहना करते हुए प्रसिद्ध अभिनेता राहुल बोस को उनकी भागीदारी और निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही, उन्होंने सभी धावकों को खेल और फिटनेस के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि इतनी बड़ी भागीदारी स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत प्रेरणा का काम करती है। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में अभिनेत्री और धाविका निकिता दत्ता और अभिनेता राहुल बोस ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। मुख्य सचिव और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विजेताओं और उपविजेताओं को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया।

<><><><><><><><>

द्वीपसमूह के विभिन्न क्षेत्रों में कल ग्राम पंचायत सदस्यों, जिला परिषद सदस्य और नगर पालिका वार्ड पार्षद के पदों के लिए उपचुनाव आयोजित किए गए। मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। मतदान के बाद सभी सामग्रियों को चिन्हित स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। डिगलीपुर तहसील के तहत ग्राम पंचायत मधुपुर के मधुपुर–6 में 76.97 प्रतिशत, मायाबंदर तहसील के तहत मायाबंदर जिला परिषद सदस्य के लिए 44.62 प्रतिशत, रंगत तहसील के तहत ग्राम पंचायत बकुलतला के

बकुलतला–3 में 67.81 प्रतिशत, फरारगंज तहसील के तहत ग्राम पंचायत मन्नारघाट के मन्नारघाट–4 में 65.75 प्रतिशत, फरारगंज तहसील के तहत ग्राम पंचायत होप टाउन के बम्बूफ्लाट–1 में 72.28 प्रतिशत और श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के वार्ड नंबर 17 में वार्ड पार्षद के लिए 39.73 प्रतिशत मतदान हुआ। मतगणना का कार्य कल सुबह 8 बजे से संबंधित मतगणना केंद्रों पर शुरू होगी।

इस मतगणना को देखते हुए इन संबंधित क्षेत्रों में ड्राई डे रहेगा।

<><><><><><><>

अंडमान और निकोबार प्रशासन ने बाराटांग में जलापूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए राफ्टर क्रीक में एक फिल्टर बेड यूनिट और क्लियर वॉटर रिजर्वोयर के निर्माण के लिए 1.38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के अंतर्गत आधुनिक फिल्टर बेड, 1.35 लाख लीटर भंडारण क्षमता वाले क्लियर वॉटर रिजर्वोयर का निर्माण, पाइपलाइनों को फिर से बिछानके कार्य के साथ 8 HP डीजल इंजन पंप सेट की स्थापना करना है। इस परियोजना से राफ्टर क्रीक, खट्टाखाड़ी और रजतगढ़ क्षेत्र में उपचारित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस परियोजना का कार्यान्वयन अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

इसी बीच, विभाग ने आम जनता से पानी का किफायती उपयोग करने की अपील की है।

<><><><><><><>

देश में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को यातायात कानूनों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके मद्देनज़र परिवहन विभाग ने सभी से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। नियम के तहत पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए केवल निर्धारित जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करने और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने को कहा गया है। वाहन चालकों को क्रॉसिंग के पास वाहन धीमा करने, पैदल यात्रियों को रास्ता देने और फुटपाथ पर वाहन पार्क करना सख्त मना है। उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत दंड दिया जाएगा। दुपहिया वाहन में चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति का BIS–प्रमाणित हेलमेट पहनना अनिवार्य है। नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रूपये का जुर्माना और धारा 194D के तहत 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। हमेशा सड़क के बाईं ओर चलें और लेन मार्किंग का पालन करें। गलत दिशा में वाहन चलाना और गलत तरीके से ओवरटेक करना दंडनीय है। खतरनाक ड्राइविंग के लिए धारा 184 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निजी वाहनों में हाई–इंटेंसिटी सफेद LED लाइटें, लाल, नीली स्ट्रॉब लाइटें और अनधिकृत हूटर या प्रेशर हॉर्न का उपयोग सख्त वर्जित है। आपातकालीन लाइटें और सायरन केवल अधिकृत आपातकालीन वाहनों के लिए ही अनुमत हैं। प्रशासन ने कहा है कि सड़क सुरक्षा सरकार, प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है।

<><><><><><><><>